

समाचार-प्रकाशनार्थ:-

भैंसो के तबेले व बाड़े तोड़ने की हुई पुरुआत

5 भैंसो के तबलो को तोड़ा गया

रतलाम 01 सितम्बर । नगर निगम एक्ट के विरुद्ध नगरीय सीमा क्षेत्र में संचालित भैंसो के तबेले हटाने का अभियान निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देशानुसार नगर निगम के स्वास्थ्यए लोक निर्माण व राजस्व विभाग अमले द्वारा प्रारंभ किया गया जिसके तहत 02 सितम्बर गुरुवार को 5 तबेलों को तोड़ा गया।

निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देशानुसार भैंसो के बाड़े व तबेले तोड़ने का कार्य प्रातः 10 बजे अलकापुरी स्थित बंजारा बस्ती से नगर निगम के स्वास्थ्यए लोक निर्माण व राजस्व विभाग अमले द्वारा पुलिस प्रशासन के साथ प्रारंभ किया गया। तबेले संचालक शरीफ खां-हसन खांए बशीर खां-हसन खां को दो दिवस पूर्व में अंतिम रूप से सूचना दी गई की वे अपने तबेलों को स्वयं हटा लें किन्तु तबेले नहीं हटाये जाने की स्थिति में उक्त तबेलों को जेसीबी मशीन के माध्यम से हटाया गया।

इसके पश्चात शैरानीपुरा खेड़ा में तबेला संचालक असलम-बशीर खांए उंकाला रोड पर विष्णु-भैरूलाल गुर्जरए सूरजमल जैन नगर में बालकृष्ण-दयाशंकर शर्मा व शैरानीपुरा में हमीद-माजिद के तबेले को तोड़कर भविष्य में नगरीय क्षेत्र में तबेले संचालित नहीं करने हेतु निर्देशित किया गया। नगरीय क्षेत्र में संचालित भैंसो के तबेले एवं बाड़े को तोड़ने की कार्यवाही निरंतर जारी रहेगी।

तबेले हटाने की कार्यवाही के दौरान कार्यपालन यंत्री श्री जी.के. जायसवालए स्टेशन रोड थाना प्रभारी श्री किशोर पाटनवालाए स्वास्थ्य अधिकारी श्री ए.पी. सिंहए उपयंत्री श्री मनीष तिवारीए अनिता ठाकुरए झोन प्रभारी श्री किरण चौहानए श्री पर्वत हाड़ेए श्री विनय चौहान सहित निगम के स्वास्थ्यए लोक निर्माण व राजस्व विभाग अमले के साथ ही पुलिस प्रशासन उपस्थित था।

नगर से निकलने वाले कचरे का प्रतिदिन किया जा रहा है वजन

2 सितम्बर को 99 टन कचरा जुलवानिया पंहुचा

रतलाम 02 सितम्बर । निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देशानुसार नगर निगम के कचरा संग्रहण वाहनों के माध्यम से घर-घर से पृथक-पृथक एकत्रित किया जा रहे गीले-सूखे कचरे व सड़को व नाले-नालियों की सफाई के दौरान निकलने वाले कचरे का प्रतिदिन वजन किया जाकर जुलवानिया टे<sup>a</sup> चिंग ग्राउण्ड पर पंहुचाया जा रहा है जिसके तहत 02 सितम्बर गुरुवार को 34 टन कचरा जुलवानिया टे<sup>a</sup> चिंग ग्राउण्ड पर पंहुचाया गया।

02 सितम्बर गुरुवार को डम्पर से 48105ए काम्पेक्टर सूखा कचरा 29360ए काम्पेक्टर गीला 20595ए मैजिक 1465 किलो इस तरह कुल 99525 किलो कचरा जुलवानिया टे<sup>a</sup> चिंग ग्राउण्ड पंहुचाया गया।

दरोगा मोहसिन खान निलंबित

रतलाम 02 सितम्बर । निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया द्वारा सफाई व्यवस्था के निरीक्षण के दौरान वार्ड क्रमांक 35 शैरानीपुरा खेड़ा में रिक्त भूखण्डों पर कचरे के ढेर पाये जाने पर दरोगा मोहसिन खान को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया।

मैजिक हैल्पर लखन चावरे सेवा से बर्खास्त

रतलाम 02 सितम्बर । वार्ड क्रमांक 7 के कचरा संग्रहण वाहन के हैल्पर लखन-रविन्द्र चावरे द्वारा बिना सूचना के अपने कर्तव्य स्थल से अनुपस्थित रहने व मोबाईल रिसिव नहीं करने पर निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देशानुसार सेवा से बर्खास्त किया गया।

नो पार्किंग मंे खड़े 4 वाहनों को जब्त कर वसूला जुर्माना

रतलाम 02 सितम्बर । नगर में ऐसे नागरिक जो कि अपने वाहनों को नो पार्किंग में खड़ा कर यातायात व्यवस्था को बाधित करते हैं उनके वाहन जब्त कर जुर्माना वसूलने की कार्यवाही निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देशानुसार चलाई जा रही है जिसके तहत 02 सितम्बर

गुरुवार को नो पार्किंग में खड़े 4 वाहनों को नगर निगम की क्रेन से जब्त कर संबंधितों से जुर्माना वसूला गया।

निगम आयुक्त श्री झारिया के निर्देशानुसार 02 सितम्बर गुरुवार को चांदनी चौक व फ्रीगंज क्षेत्र में नो पार्किंग में वाहन खड़ा करने पर भरतलाल-जगदीश पोरवाल इंगरी झाबुआए संजय-दीनदयाल पाटीदार पर 500.500ए रितेश कांतीलाल मेहता व सुशील-शेरचन्द पर 200.200 रूपये का जुर्माना किया गया।

1312 मवेशियों को पकड़कर नगर के बाहर की गौशालाओं में भेजा स्वच्छंद विचरण करने वाले मवेशियों को रात्रि में भी पकड़ा जायेगा रतलाम 02 सितम्बर । रतलाम नगर को साफ-स्वच्छ व सुन्दर बनाने हेतु नगर निगम द्वारा सार्वजनिक स्थानों सड़कोए चौराहों पर स्वच्छंद विचरण करने वाले मवेशियों को दिन में पकड़े जाने के साथ ही निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देशानुसार निगम के स्वास्थ्य विभाग अमले द्वारा अब रात्री में भी मवेशियों को पकड़ा जायेगा क्योंकि मवेशी पालको द्वारा दिन में मवेशियों को बांधकर रखा जाता है तथा रात्रि में खुला छोड़ दिया जाता है जिससे शहर में गंदगी होती है।

कलेक्टर एवं प्रशासक नगर पालिक निगम रतलाम श्री कुमार पुरुषोत्तम व निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देशानुसार स्वास्थ्य अमले द्वारा अभियान चलाया जा रहा है जिसके तहत 02 सितम्बर तक शहर के विभिन्न क्षेत्रों से 1312 मवेशियों को पकड़ा जाकर जिले की विभिन्न गौशालाओं में भेजा गया। अभियान के तहत 01 सितम्बर को अलकापुरीए जवाहर नगरए इन्द्रलोक नगरए विनोबा नगर क्षेत्र से 8 मवेशी निगम के स्वास्थ्य विभाग अमले द्वारा पकड़ा गया।

980 हितग्राही पीएम स्वनिधी के ब्याज मुक्त ऋण से लाभान्वित हुए पथ विक्रेता 10 व 20 हजार का ब्याज मुक्त ऋण प्राप्त करने हेतु आवेदन प्रस्तुत करें

रतलाम 02 सितम्बर । नगरीय क्षेत्र रतलाम के ऐसे पंजीकृत एवं पात्र पथ विक्रेता जिन्हें प्रथम कार्यशील पूंजी हेतु ब्याज मुक्त ऋण प्राप्त नहीं हुआ है तथा जिन्होंने प्रथम कार्यशील पूंजी का ऋण जमा करा दिया है उन्हें संकल्प से सिद्धी विशेष अभियान के तहत 10 व 20 हजार का ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध कराने हेतु नगर निगम द्वारा निगम के झोन कार्यालयों पर ऑन लाईन आवेदन भरे जा रहे हैं।

निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने बताया कि प्रथम कार्यशील पूंजी हेतु राशि रूपये 10ए000६ ब्याज मुक्त ऋण हेतु 2429 हितग्राहियों द्वारा आवेदन प्रस्तुत किये गये हैं जिसमें से 1245 आवेदन स्वीकृत किये जा चुके हैं तथा 962 हितग्राहियों को ऋण उपलब्ध कराया गया है। इसी तरह द्वितीय कार्यशील पूंजी हेतु राशि रूपये 20ए000६ ब्याज मुक्त ऋण हेतु 58 हितग्राहियों द्वारा आवेदन प्रस्तुत किये गये हैं जिसमें से 43 आवेदन स्वीकृत किये जा चुके हैं तथा 18 हितग्राहियों को ऋण उपलब्ध कराया गया है।

नगर निगम द्वारा नगरीय क्षेत्र रतलाम के पथ विक्रेताओं से अपील की जाती है कि जिन्हें प्रधानमंत्री स्वनिधी योजना अन्तर्गत राशि रूपये 10ए000६ का ऋण प्राप्त नहीं हुआ है तथा ऐसे पथ विक्रेता जिन्हें प्रथम कार्यशील पूंजी राशि रूपये 10ए000६ का ब्याज मुक्त ऋण प्राप्त हो चुका है व जमा करा दिया है वे द्वितीय कार्यशील पूंजी राशि रूपये 20ए000६ का ब्याज मुक्त ऋण प्राप्त करने हेतु नगर निगम के झोन कार्यालय अलकापुरी कम्युनिटी हॉल ए डॉ० अम्बेडकर मांगलिक भवन पोलोग्राउण्ड ए अमृत सागर उद्यान व हरमाला पम्प हाउस कार्यालय में कार्यालयीन समय में उपस्थित होकर शीघ्र ऑन लाईन आवेदन प्रस्तुत करें।

ऑन लाईन आवेदन प्रस्तुत करने हेतु पथ विक्रेता को आवश्यक दस्तावेज के रूप में बैंक पास बुक ए आधार कार्ड ए पथ विक्रेता पंजीयन कार्ड व आधार लिंक से मोबाईल नम्बर साथ लाना होगा।

नगर निगम के पंेषनरो को देना होगा जीवित प्रमाण-पत्र

रतलाम 02 सितम्बर। संचालनालय नगरीय प्रशासन एवं विकास भोपाल के निर्देशानुसार नगरीय निकायों के पेंशनरों को प्रत्येक वर्ष के माह दिसम्बर में जीवित प्रमाण-पत्र लिया जावेगा।

नगर पालिक निगम रतलाम के समस्त पेंशनरों से अपील की जाती है कि वे माह दिसम्बर 2021 से प्रत्येक वर्षान्त में जीवित प्रमाण-पत्र निर्धारित प्रारूप में निगम की पेंशन शाखा में अनिवार्य रूप से जमा करावें जीवित प्रमाण-पत्र नहीं जमा कराने पर जनवरी से पेंशन भुगतान नहीं किया जावेगा।

नागरिक व दुकानदार कोविड अनुकूल व्यवहार का पालन करें

रतलाम 02 सितम्बर । कलेक्टर एवं प्रशासक नगर पालिक निगम रतलाम श्री कुमार पुरुशोत्तम के निर्देशानुसार रतलाम जिले में कोरोना 2019 संक्रमण को नियंत्रण करने हेतु कोविड अनुकूल व्यवहार अनिवार्य किया गया है।

निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने नागरिकों व दुकानदारों व व्यावसायिक प्रतिष्ठान मालिकों से अपील की है कि सही तरीके से मास्क लगायें एवं सोशल डिस्टेंसिंग का पालन अनिवार्य रूप से करें। दूकानों एवं सार्वजनिक स्थानों में 6 नागरिकों से अधिक लोग इकट्ठे नहीं हों। नियमों का पालन अनिवार्य रूप से कर कानूनी कार्यवाही से बचें।

गीला व सूखा कचरा पृथक-पृथक नहीं लेने पर कर्मचारियों के विरुद्ध होगी कार्यवाही

रतलाम 02 सितम्बर। निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने कचरा संग्रहण वाहन के ड्रायवर व हैल्पर वार्ड प्रभारी व झोन प्रभारियों को निर्देशित किया है कि वे नगर के प्रत्येक घर व दुकान आदि से प्रतिदिन गीला व सूखा कचरा पृथक-पृथक कचरा संग्रहण करना सुनिश्चित करें अन्यथा ड्रायवर व हैल्पर वार्ड प्रभारी व संबंधित झोन प्रभारी पद से हटाने व बर्खास्त किये जाने की कार्यवाही की जायेगी।

निगम आयुक्त श्री झारिया ने निर्देशित किया यदि किसी भी वार्ड में मिक्स कचरा लेते हुए या कचरा संग्रहण वाहन में मिक्स कचरा डालते हुए पाये जाने पर संबंधित कर्मचारी को पद से हटाने व सेवा से बर्खास्त किये जाने की कार्यवाही की जायेगी। इसके अलावा उन्होंने निर्देशित किया कि प्रत्येक वार्ड के प्रत्येक घरए दुकानए गुमटी आदि से प्रतिदिन पृथक-पृथक कचरा लिया जाये।

प्रत्येक वार्ड के प्रत्येक घरए दुकानए गुमटी आदि से प्रतिदिन पृथक-पृथक कचरा लिये जाने हेतु निगम आयुक्त श्री झारिया ने निर्देशित किया कि दोनो पालियों में वार्ड में कचरा संग्रहण वाहन जायेंगे तथा जब तक पुरे वार्ड से 100 प्रतिशत कचरा संग्रहित नहीं कर लिया जाता तब तक वाहन निगम के वर्कशॉप में जमा ना करायें। निगम आयुक्त श्री झारिया ने वार्ड प्रभारी व झोन प्रभारी को निर्देशित किया है कि वे प्रतिदिन प्रमाणित करेंगे कि उनके वार्ड से 100 प्रतिशत कचरा उठ चुका है।

वार्ड में गंदगी पाई गई तो झोन प्रभारीए वार्ड दरोगा व सफाई संरक्षक के विरुद्ध होगी कार्यवाही

रतलाम 02 सितम्बर । स्वच्छ सर्वेक्षण-2021 में रतलाम नगर को स्वच्छता के क्षेत्र में नम्बर-1 बनाने हेतु नगर निगम दृढ संकल्पित हैए जिसके तहत वार्डों की सड़कए गलीए सार्वजनिक स्थलए नाले-नालियों आदि समुचित सफाई हेतु झोन प्रभारीए वार्ड दरोगा व वार्ड के सफाई संरक्षक पाबंद है। वार्डों में गंदगीए कचरे के ढेरए नाले-नालियों में कचरा पाये जाने पर संबंधितों को हटाने की कार्यवाही की जायेगी।

वार्डों की समुचित साफ-सफाई का दायित्व झोन प्रभारीए वार्ड दरोगा व सफाई संरक्षकों का दायित्व है वे अपने कर्तव्य का निर्वहन पुरी निश्ठा एवं ईमानदारी करें यदि वार्डों में साफ-सफाई नहीं पाई जाती है तो संबंधितों को हटाने की कार्यवाही की जायेगी।

समाचार/ज.सं.वि./हेमन्त/02ण09ण2021ध्न.पा.निगमए रतलाम.